



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 99- विनियम एवं का0वि0नी0/पाकालि/2020-01-विनियम/2000(टी0सी0)

दिनांक 17 फरवरी, 2020

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 18.12.2019 को सम्पन्न 153वीं बैठक की मद संख्या 153(77) में निम्नवत् निर्णय पारित किये गये :-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सेवानिवृत्त कर्मिकों द्वारा उनके सेवा-काल में की गई अनियमितताओं हेतु विभागीय कार्यवाही किये जाने एवं तदनुसार पेंशन रोके जाने/कटौती किये जाने/प्रत्यापति किये जाने के सम्बन्ध में, कारपोरेशन में पूर्व से प्रभावी सिविल सर्विसेस रूल्स के अनुच्छेद-351(ए) के क्रम में विभाग को हुई आर्थिक क्षति की प्रत्यापति हेतु सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में सिविल सर्विसेस रूल्स के अनुच्छेद-351(बी) को कारपोरेशन में अंगीकृत किया जाता है।

"351-B. In case in which a pension is not withheld or withdrawn under Article 351-A but the amount of any pecuniary loss caused to Government is ordered to be recovered from the pension, the recovery should not ordinarily be made at a rate exceeding one-third of the gross pension originally sanctioned including any amount which may have been commuted."

2. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनके सेवा-काल में की गई अनियमितताओं हेतु विभागीय कार्यवाही किये जाने एवं तदनुसार पेंशन रोके जाने/कटौती किये जाने/प्रत्यापति किये जाने हेतु उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

संख्या: 99-(I) विनियम/काविनी-29/पाकालि/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
- 4- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
- 6- समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 9- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2), उ0प्र0 पा0का0लि0/उ0प्र0 पा0ट्रां0कारपोरेशन लि0।
- 10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
- 11- महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

क्रमशः2

Handwritten signature and initials.

(2)

- 12- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
- 13- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
- 14- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
- 15- अनु सचिव (सचि0प्रशा0-लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 16- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 17- सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 18- समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 19- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल के निर्णय का अनुपालन किये जाने की सूचना।
- 20- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से
(राकेश भट्ट) 11/02/20

अनु सचिव (का0वि0नी0 एवं विनियम)

12/2